No-59/XXVIII-4-12-270/02

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या– 103/XII/2011/86(38)/2008
दिनांक देहरादून 09 नवम्बर दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38) [illegible] 25–02–2009, के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के [illegible] स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया।

2– अतः उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम,1947(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की [illegible] उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल पूर्व गठित "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के स्थान पर "ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण उप समिति" के नाम से [illegible] अधिसूचना में व्यवहृत कार्य दायित्व के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य ग्राम पंचायत [illegible] की स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– गॉवों में पोषण के प्रति लोगों को जागरुक करना और पौष्टिक भोजन की [illegible] जानकारी देना।

2– गॉवों में ग्राम स्तरीय कर्मियों के सहयोग से गॉव के पोषण की स्थिति [illegible] विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों में पोषण के स्तर का।

3– गॉवों में स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक पदार्थों का उपयोग करने हेतु [illegible] उनके रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

3–ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना में पोषण को सम्मिलित करना:–

1– उपरोक्त समिति द्वारा समुदाय में कुपोषण का विश्लेषण समुदाय तथा House [illegible] Survey के माध्यम से किया जायेगा जिसमें ए0एन0एम0 आंगनवाडी कार्यकत्री [illegible] आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजरों की पूर्ण भागीदारी होगी।

2– प्रत्येक माह गॉवों में आयोजित हो रहे ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण दिवस [illegible] करने हेतु उनका नियमित पर्यवेक्षण किया जाये।

3– समुदाय से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें निकट के Nutrition Rehabilitation Centre (NRC) को संदर्भित किया जाये तथा साथ ही उन पर नियमित निगरानी [illegible]

4– गॉवों में संचालित हो रही आंगनवाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर बच्चों और महिलाओं [illegible] की स्थिति की जानकारी करना।

5– ग्राम हेतु ग्रेवान्स रिड्रैसेल केन्द्र के रूप में कार्य करना।

4– उक्त आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या–Z–18015/8/2011–NRHM-II, दिनांक [illegible] 2011 के कम में निर्गत किये जा रहे है।

5– अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38)/08,दिनांक 25–02–2009, में उल्लिखित [illegible] यथावत् रहेंगे।

(डॉ0पी0एस0 [illegible])
सचिव

संख्या– /**XII**/2011/86(38)/2008,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराण्ड शासन।
4— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
7— निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।
8— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, देहरादून।
9— आयुक्त, गढवाल/कुमायू मण्डल।
10— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12— समस्त जिला पचांयतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13— एन0आई0सी0।
14— गार्ड फाईल।